राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/ 10249 जयपुर,दिनांकः 11/5/22

अधिसूचना

विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/977 दिनांक 06.02.2015 को अतिक्रमित करते हुये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सदस्यों को संबंधित निकाय की स्वयं की अर्जित आय में से एतद् द्वारा निम्नानुसार मासिक भत्तों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती हैः–

निकायो की श्रेणी	टेलीफोन भत्ता रूपये/प्रतिमाह	स्टेशरी भत्ता रूपये/प्रतिमाह	वाहन भत्ता रूपये/प्रतिमाह	बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक
नगर निगम	1800	900	1800	720 प्रति बैठक अधिकतम 2160 प्रतिमाह
नगर परिषद	1200	720	1200	600 प्रति बैठक अधिकतम 1800 प्रतिमाह
नगरपालिका	720	600	900	480 प्रति बैठक अधिकतम 1440 प्रतिमाह

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/ 10250-752 दिनांकः 11/5/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी